



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180365

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 7955 वर्ष 2026

बबलू यादव और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : चंद्र कांत त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 22 सन् 2023, धारा 308, 323, 504, 506 भा.दं.सं., थाना-कप्तानगंज, जनपद बस्ती में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकों को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। एक क्रॉस वर्जन है। आवेदकों की ओर से दो व्यक्तियों, अर्थात् राम सागर यादव और लल्लन प्रसाद यादव, को चोटें आई हैं। वर्तमान मामले के घायलों को प्रत्येक को एक दृश्य चोट आई है और किसी भी चोट को गंभीर प्रकृति की अथवा जीवन के लिए खतरनाक नहीं बताया गया है। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि क्रॉस मामले हैं। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं और इस स्तर पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि आक्रामक पक्ष कौन है। चूंकि क्रॉस वर्जन होने के कारण घटना स्वयं स्वीकार की गई है, इसलिए अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अब आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदकों को किसी गिरफ्तारी की आशंका नहीं है। वे संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
6. घायल अंजनी और रेखा रानी को एक-एक चोट आई है। दो अन्य घायल भी हैं, अर्थात् आलोक कुमार, जिन्हें एक दृश्य चोट, घर्षण के रूप में, आई होना कहा गया है तथा राम विलास यादव, जिन्हें दो दृश्य चोटें, जिनमें एक नीलगू तथा दूसरी आघातजन्य सूजन है, आई होना कहा गया है। परिवार के सदस्यों के बीच विवाद प्रतीत होता है। चोटों को जीवन के लिए खतरनाक होने की राय नहीं दी गई है। यद्यपि दोषसिद्धि की स्थिति में अधिरोपित की जा सकने वाली अधिकतम सजा सात वर्ष से अधिक नहीं है, तथापि धारा 308 भा.दं.सं. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है। विवेचना के दौरान आवेदकों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्तानुसार विवेचित मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।
8. आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदकगण- **बाबलू यादव और मनीष कुमार** आज से चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किए जाएंगे:-
 - i. आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो;
 - ii. आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख किया जा सके;
 - iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
 - iv. आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31 अगस्त, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।